भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2805
(18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत निधि

2805. श्री हमदुल्ला सईदः
श्री कालिपद सरेन खेरवालः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप के लिए हाल के वर्षों में निधि जारी करने में देरी की गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और भुगतान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) वर्ष 2019 से पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप को योजना के अंतर्गत जारी की गई वास्तविक निधि का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) मार्च 2025 तक लंबित निधि जारी करने के लिए राज्य ने क्या दावा किया है और तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है;

(घ) पश्चिम बंगाल में झारग्राम, पुरुलिया और पश्चिम मेदिनीपुर जिलों के लिए मनरेगा के अंतर्गत लंबित राशि का जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में उक्त योजना के अंतर्गत सृजित कुल श्रम दिवसों की वर्षवार संख्या कितनी है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (घ): महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम , 2005 के प्रावधानों के अनुसार , योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में, वित्तीय अनियमितता, गैर-अनुमेय कार्यकलापों का निष्पादन, कार्यों का विभाजन, पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी जैसे कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों को उजागर करने

वाली केंद्रीय टीमों की निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर , मंत्रालय ने राज्य को इनमें सुधार के लिए कई बार पत्र भेजा था। तथापि कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं देखा गया। परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण इस अधिनियम की धारा 27 के तहत दिनांक 9 मार्च, 2022 से पश्चिम बंगाल राज्य को निधि जारी करने पर रोक लगा दी गई है।

सामग्री घटक के संबंध में , राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भारत सरकार को निधि जारी करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। केंद्र सरकार समय-समय पर दो खेपों में निधि जारी करती है, जिसमें प्रत्येक खेप में एक या अधिक किस्तें होती हैं , जो "सहमत" श्रम बजट, कार्यों की मांग, प्रारंभिक शेष राशि, निधियों के उपयोग की गति, लंबित देनदारियों, समग्र प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन होती हैं। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और केंद्र सरकार जमीनी स्तर पर काम की मांग के अनुसार योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निधि उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण नियमों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा किया जाता है जबकि सामग्री और प्रशासनिक निधियां राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को जारी की जाती है जो बाद में जिलों को तदनुसार निधि जारी करता है। भारत सरकार सीधे जिलों को सामग्री और प्रशासनिक निधि जारी नहीं करती है।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 12.03.2025 तक) में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) लक्षद्वीप और पश्चिम बंगाल राज्य को जारी निधि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	जारी केंद्रीय निधि (रुपए करोड़ में)	
वित्तीय वर्ष	संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप को जारी निधि	पश्चिम बंगाल
2019-20	0.24	8,507.61
2020-21	-	11,454.05
2021-22	0.30	7,507.80
2022-23	-	-
2023-24	-	-
2024-25 (दिनांक 12.03.2025 तक)	0.31	-

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के संबंध में कोई लंबित देयता नहीं है।

पश्चिम बंगाल के मामले में दिनांक 09 मार्च, 2022 तक लंबित राशि 3,038 करोड़ रुपये है।

(ड़): पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान लक्षद्वीप और पश्चिम बंगाल राज्यों में सृजित श्रम दिवसों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	सृजित श्रम दिवस (लाख में)		
वित्तीय वर्ष	2023-24	2022-23	2021-22
लक्षद्वीप	0.04	0.05	0.01
पश्चिम बंगाल	1.65	378.75	3642.15

नरेगा सॉफ्ट पर उप्लब्ध सुचना के अनुसार